<u>न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> <u>बडवानी म.प्र.</u>

आप0प्र0क0— 169/2018 आर.सी.टी. कं. 162/18 संस्थापन दिनांक—05.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरूद्ध

जयेश उर्फ भोला पिता आनंद वर्मा उम्र 19 साल, निवासी आनंद बैडी ठीकरी, थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

//निर्णय// (आज दिनांक 05.05.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त **जयेश** के विरूद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 12.04.2018 को समय 18:00 बजे, स्थान— दवाना रोड भगवानपुरा फाटा ठीकरी पर आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक प्लास्टिक की थैली में 25 स्वाटर देशी प्लेन मदिरा रखने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 12.04.2018 को मूखिबर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति दवाना रोड भगवानपुरा फाटा तरफ से अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान अजय पिता संतोष व धर्मेन्द्र पिता कालु को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर दवाना रोड भगवानपुरा फाटे के पास पहुंचे। थोडी देर बाद एक व्यक्ति दवाना रोड भगवानपुरा फाटे तरफ से हाथ में थैली लेकर आया जिसे रोककर नाम पता पूछते अपना नाम

\sim		
ानः	ਾਰਹ -	

संस्थापन दिनांक 05.05.2018

जयेश उर्फ भोला पिता आनंद वर्मा का होना बताया। जयेश उर्फ भोला के पास मिले थैली को चेक करते उसके अंदर देशी एक प्लास्टिक की थैली में 25 क्वाटर देशी प्लेन मिदरा होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी जयेश उर्फ भोला का उपरोक्त कत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष आरोपी जयेश उर्फ भोला के कब्जे से एक प्लास्टिक की थैली में 25 क्वाटर देशी प्लेन मिदरा जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क0 123/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी जयेश उर्फ भोला पिता आंनद वर्मा के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी जयेश उर्फ भोला पिता आनंद वर्मा ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक प्लास्टिक की थैली में 25 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1300/— रू के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन व बोलने पर व दिनांकित कर घोषित किया गया टंकित किया गया।

सही / — सही / — (शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0 अंजड जिला बड़वानी म0प्र0